

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश


राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप मुप एक में संवर्गित प्रधानाध्यापक (मावि) एवं त्रिमकक्ष पद पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में 2013-14 व 2014-15 के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदान्ति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशक - शिविरा/मा/संस्था/बी-1/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(पुरुष) दिनांक-16.12.2018 द्वारा चयन(कार्मिक के नाम के सामने अंकित चयन वर्ष में ) किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित चयन वर्ष एवं विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष	नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2814	1988-90	Arvind Kumar Mangal ,SR.TE	29-04-1963	g nveen ups mokhapada kota	2014-15	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL KOTRI GORDHANPURA,	KOTA

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत एस राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेश में उल्लेखित पदोन्नत कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष के उपरान्त मण्डल परिवर्तित नहीं हुआ है (वरिष्ठ अध्यापक अवधि में)। यदि कार्मिक का मण्डल परिवर्तित हुआ है तो ऐसी स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल [absecsecedu@gmail.com](mailto:absecsecedu@gmail.com) पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक-25.01.2019 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल सूचित करेंगे। नियन्त्रण अधिकारी चयनित कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व कार्मिक की वरिष्ठता की जांच आवश्यक रूप से करेंगे यह भी ध्यान रखेंगे कि वरिष्ठता वर्ष के उपरान्त कार्मिक का द्वितीय श्रेणी पद पर मण्डल परिवर्तित नहीं हुआ हो, अन्यथा स्थिति होने पर इसकी जानकारी तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को देंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

  
(नथमल डिडेल)


अर्ब १९११

निदेशक माध्यमिक  
शिक्षा राजस्थान बीकानेर  
दिनांक: 18/01/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/रिव्यू-नियमित/डीपीसी-13-14 व 14-15/2018(09-1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- शासन सचिव-स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(मुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-स्कूल शिक्षा समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक /प्रारंभिक समस्त।
- मुख्य वर्नाक शिक्षा अधिकारी समस्त।
- संबंधित संस्था प्रधान।
- संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
- सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
- निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक-कार्मिक


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में वर्तमान प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद पे-बेण्ड 15600-39100 पी वी-3 ग्रेड पे 5400 में 2013-14 व 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-III/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(पुरुष) दिनांक:-16.12.2018 एवं शिविरा/मा/संस्था/बी-III/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(महिला) दिनांक:-16.12.2018 द्वारा चयन(कार्मिक के नाम के सामने अंकित चयन वर्ष में किया गया है। उक्त चयनित कार्मिकों में निम्नांकित अधिकारी जो पूर्व से ही प्रधानाध्यापक-मावि पद पर कार्यरत हैं को उनके नाम के सामने अंकित चयन वर्ष में यथावत पदोन्नत किया जाता है।

क्रम	वर्षिता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	जन्मतिथि	चयन वर्ष (डीपीसी)
1	1933	1985-86	Ashok Kumar		02-09-1960	GOVT SECONDARY SCHOOL AHEER BASNA - KOTKASIM ALWAR	2013-14
2	1482	1985-86	AJAY TANDAN		01-09-1961	GOVT. SECONDARY SCHOOL SR. BETA RAJSAMAND	2013-14
3	470	1986-88	Balveer Singh		22-07-1959	GOVT. GIRL SEC SCHOOL, PINGORA, BHARATPUR	2013-14
4	2193	1985-86	Man Singh		01-01-1961	GOVT. SECONDARY SCHOOL MEENAPURA, BLOCK RAMGARH, ALWAR ALWAR	2013-14
5	1005	B 1991-92	Rameshwar Lal Meena	ST	03-09-1963	GOVT. GIRLS SEC SCHOOL ITUNDA, BHILWARA	2013-14
6	905	1991-92	Aruan Kumar Yadav	SC	15-03-1964	GOVT. SEC SCHOOL DADWAL RAJSAMAND RAJSAMAND	2013-14

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टि पदोन्नत अधिकारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित करें।



(नथमल डिडेल)

अधीक्षक

निदेशक माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 18/01/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/रिव्यू-नियमित/डीपीसी-13-14 व 14-15/2018(9-6)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-स्कूल शिक्षा समस्त।
06. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक समस्त।
07. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
08. संबंधित संस्था प्रधान।
09. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के सम्बन्ध में शासन दफ्तर में अपने सचिव को प्रपत्र-10 में पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जाच/प्रगारी वी. 5
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक-कार्मिक

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गित प्रधानाध्यापक (भावि) एवं समकक्ष पद पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में 2013-14 व 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-III/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(पुरुष) दिनांक:-16.12.2018 द्वारा चयन(कार्मिक के नाम के सामने अंकित चयन वर्ष में ) किया गया था । उक्त चयनित कार्मिकों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.01.2019 जारी किया गया था ।

उक्त आदेश दिनांक 03.01.2019 द्वारा पदस्थापित कार्मिकों में से संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों की हद तक पदस्थापन आदेश उनके नाम के सामने अंकित विवरण के आधार एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है ।



(नथमल डिडेल)

अर्द ए एस

निदेशक माध्यमिक


शिक्षा राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 18 / 01 / 2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/रिव्यू-नियमित/डीपीसी-13-14 व 14-15/2018(7-3)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा समस्त सभाग।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-स्कूल शिक्षा समस्त।
06. जिला शिक्षा अधिकारी ( मुख्यालय )माध्यमिक /प्रारंभिक समस्त ।
07. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ।
08. संबधित संस्था प्रधान।
09. संबधित कार्मिक
10. सहायक निदेशक दृष्टिता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3 को आगामी कार्यवाही हेतु ।
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक

**कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र.अ. रिव्यू डीपीसी/13-14 से 14-15/2018(7-3)

दिनांक 01.01.2019

क्र. सं.	परिष्कार क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	डीपीसी वर्ष	वर्तमान पदस्थापन	जिला	नवीन पदस्थापन	जिला	आदेश दिनांक	विशेष विवरण	
1	492	0	1986-88	Subhash Chandra Gupta		13-01-1962	2013-14	Govt. Secondary School NEW MANDI HINDON, KARAUJI	Karauli	Govt. Secondary School KANCHANPUR TALAHATI, KARAUJI (08090117604 )(KARAUJI)	Karauli	03-01-2015	death
2	1077	0	1986-88	Nandlal Lahor		08-09-1959	2013-14	G.S.SEC.S.KATEV, UDAIPUR	Udaipur	GOVT. SECONDARY SCHOOL NALA PIPALA, RISHABHDEV (08261208201 )(KHERWARA (ST))	Udaipur	03-01-2015	death
3	2995	0	1986-90	Nemichand		07-06-1966	2014-15	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, SUNHERA, BHARATPUR	Bharatpur	GOVT VISHISHT SECONDARY(MONTESRI) SCHOOL KILLA, BHARATPUR (227259), SEWAR (08070518319 )(BHARATPUR)	Bharatpur	03-01-2015	not selected





(नथमल डिडेल)

I.A.S

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर